



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद  
(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)  
नर्मदा भवन (सी ब्लॉक-द्वितीय तल) 59-अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

क्र. 15391/NREGS-MP/NR-6/09 भोपाल, दिनांक 23/12/2009

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
जिला – समस्त 50 जिलें (मध्यप्रदेश)।

विषय : सामाजिक अंकेक्षण कार्य के लिए आउटसोर्स एजेंसी नियुक्त करने  
विषयक।

संदर्भ : भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 1827 दिनांक  
31 दिसम्बर 2008 के द्वारा अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा के बिन्दु  
“ख” की कंडिका (11).

-----0-----

विषयांतर्गत पत्र क्रमांक 425/सा.अं./MPREGS/2007 दिनांक 10 मार्च 2007  
के तारतम्य में पत्र क्रमांक 2798/NREGS-MP/सा.अं./07 भोपाल, दिनांक  
17/09/2007 के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कार्य में ग्रामसभाओं को सहयोग देने के  
लिए जिला स्तर पर स्वयंसेवी संस्थाओं की नियुक्ति की प्रक्रिया को कार्यालयीन पत्र  
क्रमांक 8155//NREGS-MP/NR-6/09 भोपाल, दिनांक 26/06/2009 के द्वारा  
नई निविदा/नवीनीकरण आदि की कार्रवाई को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया था।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भित संशोधन के परिप्रेक्ष्य में  
सामाजिक अंकेक्षण कार्य के लिए आउटसोर्स एजेंसी की नियुक्ति व्यवस्था को तत्काल  
प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

अतः जिलों में सामाजिक अंकेक्षण कार्य में सहयोग के लिए नियुक्त एजेंसी को  
तत्काल प्रभाव से समाप्त कर परिषद कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(ए. के. सिंह)  
संयुक्त आयुक्त  
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद



## मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)  
नर्मदा भवन (सी ब्लॉक-द्वितीय तल) 59-अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

पृ. क्र.— 15392/NREGS-MP/ NR-6 /09 भोपाल, दिनांक 23 /12 /2009

प्रतिलिपि :-

1. संभागायुक्त संभाग रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. उपायुक्त (विकास) संभागायुक्त कार्यालय रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर चंबल और सागर संभाग की ओर सूचनार्थ ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला पंचायत —.....  
..... म.प्र. (समस्त 50 जिलें) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संयुक्त आयुक्त  
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

